न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार आर०ए०एस०

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
156 / 2023	धारा 88, 92(क) RTA	22.12.2023	29.12.2023

1. अमीलाल पुत्र श्री हनुमानाराम जाति जाट निवासी ग्राम खांसोली हाल निवासी कैरियर कॉलेज के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. रोहिताश कुमार पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी ग्राम खांसोली हाल निवासी ग्राम बुडा का बास झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू (राज.)
3. साक्षी चौधरी पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी ग्राम खांसोली हाल निवासी कैरियर कॉलेज के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. मुकेश देवी पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी ग्राम खांसोली हाल निवासी कैरियर कॉलेज के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

—वादीगण—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

—प्रतिवादी—

दावा अन्तर्गत धारा 88, 92 ए आर.टी.ए.

उपस्थित— 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी वादीगण
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 92 क का प्रस्तुत कर निवदेन किया गया कि खसरा नं. खेत खसरा संख्या 1561/1319 तादादी 0.2783 हैक्टेयर, खसरा नं. 1565/1322 तादादी 0. 5058 हैक्टेयर, 1562/1319 तादादी 0.5058 हैक्टेयर, 1566/1322 तादादी 0.2530 हैक्टेयर, 1563/1319 तादादी 0.7335 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1567/1319 तादादी 0.1518 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1564/1319 तादादी 0.8853 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम खांसोली के राजस्व रिकार्ड जामबंदी " मौका नक्शे एनेक्चर" एवं मौका नक्शा राजस्व रिकॉर्ड एनेक्चर दावा हाजा के साथ प्रस्तुत है।

वादीगण की खरीदशुदा कृषि भूमि है जिसमें मूल खसरा नम्बर 1319 व 1322 वाके रोही ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू है जिसमें से एक रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में कर दिया गया है।जिसके नक्शे की फोटो दावा हाजा के साथ संलग्न की जा रही है जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

वदीगण के खेत में जो कि रास्ता A से B दर्ज हो गया जिसके स्थान पर एनेक्चर C से B किया जावे । वादीगण उक्त कटानी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाहते हैं। राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। जिसके लिए वादीगण द्वारा मूल एनेक्चर दावा हाजा के साथ पेश किया जा रहा है।

राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व जमाबन्दी के अनुसार अंकन है परन्तु मौके पर एनेक्चर के अनुसार खसरान जो कि मौके पर [illegible] पेश एनेक्चर के अनुसार है। इसलिए अदालत मातहत में उक्त दावा पेश किया जा रहा है। जिसके प्रमाण [illegible] संवत् 2070—2073 राजस्व रिकॉर्ड नक्शा एनेक्चर C से B "एनेक्चर" [illegible] के साथ प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उक्त विवादित कृषि भूमि में रास्ता राजस्व कर्मचारियों की भूलवश A से B दर्ज हो गया जिसके स्थान पर एनेक्चर C से B किया जावे। उक्त कृषि भूमि मे क नक्शे को एनेक्चर C से B के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।

उक्त कृषि भूमि वादीगण की खरीदशुदा सम्पति है। जो उक्त कृषि भूमि एनेक्चर A से B में एक कटानी रास्ता जाता है। राजस्व कर्मचारी की भूलवश वादीगण की कृषि भूमि के राजस्व नक्शे के अनुसार गलत तरमीम कर दी गई थी जो गलत है और इसके लिए य ह आवश्यक हो गया है कि वादीगण व प्रतिवादी अपने राजस्व रिकॉर्ड में एनेक्चर एनेक्चर C से B के अनुसार करवा लेवें जिससे आगे किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद भविष्य में ना रहे इसलिए उक्त दावा अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।

वादीगण ने प्रतिवादी को कहा व कहलवाया कि वादीगण की खसरान भूमि में प्रतिवादी को कहा व कहलवाया कि वादीगण की खसरान भूमि में उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त व नक्शे में दुरूस्त राजीरजा करवा देवें। मगर प्रतिवादी टाल–मटोल करता रहा एवं आखिरा कार दिनांक 20.12.2023 को प्रतिवादी ने ऐसा करने से साफ–साफ इन्कार कर दिया लिहाजा तारीख दिनांक 20.12.2023 से वादकारण तथा वादीगण भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त हो गया।

उक्त वादीगण की कृषि भूमि बैंक के रहन नहीं होने से बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

दावा कृषि भूमि रिकॉर्ड दुरूस्ती घोषणात्मक का है तथा LAND HOLDER होने के कारण दावा हाजा में राजस्थान सरकार को दावा हाजा में पक्षकार प्रतिवादीगण बनाया गया है मगर दावा में राज्य सरकार के हितों कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है इसलिए दावा से पूर्व 80 जा0 दी0 के नोटस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

अतः दावा प्रस्तुत क निवेदन है कि दावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखेनुसार डिक्री फरमाया जावे।

(क) जरिये वादीगण की ओर से दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा डिक्री स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि एनेक्चर A से B के स्थान पर C से B "एनेक्चर" के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कर एनेक्चर के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में सही अंकन करवाया जावे।

(ख) जरिये डिक्री कृषि भूमि उप मद क में अंकित कृषि भूमि को नक्शे एनेक्चर नेक्चर A से B के स्थान पर C से B "एनेक्चर" के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे। जिसके राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कर एनेक्चर के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में सही अंकन करवाया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या हो जावे वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जो जरिये सम्मन तलब किया गया प्रकरण दुरूस्ती का होने से तहसीलदार चूरू से रिपोर्ट मंगवायी गई। जिस प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया तथा तहसीलदार चूरू से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल मिसल किया। साक्ष्य पर मूल दावा के साथ संलग्न दस्तावेज व रिपोर्ट तहसीलदार को साक्ष्य माना जाने के निवेदन पर साक्ष्य बन्द किया जाकर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

बहस सुनी जाकर पत्रावली व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया जाकर बहस पर चिन्तन मनन किया गया।

दावा में वादीगण की ओर से [illegible] खसरा जात भूमि वादीगण की ओर से खरीदशुदा भूमि है तथा जिसमें से राजस्व रिकॉर्ड [illegible] रास्ता संलग्न नक्शा के अनुसार ए से बी गलत दर्ज हो गया है जबकि मौके [illegible] युक्त सड़क का निर्माण होकर आवागमन चल रहा है जिसे वादीगण [illegible] जाना आवश्यक हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

जवाब में प्रतिवादी की ओर से जाहिर किया गया कि वर्तमान में रास्ता राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार न होकर मौके पर C से B "एनेक्चर" के अनुसार है दुरूस्ती के लिए प्रतिवादी की ओर से मना नहीं किया गया। वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि एनेक्चर A से B के स्थान पर c से B के अनुसार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने से राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी है। अतः विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय फरमाया जावे।

मौका रिपोर्ट वादीगण एवं अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में तैयार कर भिजवाई गई जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के खाता सं. 269 के ख. नं. 1561/1319 तादादी 0.2783 है. ख. नं. 1565/1322 तादादी 0.2530 है. अमीलाल पुत्र हनुमाना राम जाति जाट नि. चूरू खाता संख्या 540 के ख. नं. 1562/1319 तादादी 0.5058 है. ख. नं. 1566/1322 तादादी 0.2530 है. रोहिताश्व कुमार पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी बुद्धा का बास झुंझुंनु खाता सं. 539 ख. नं. 1563/1319 तादादी 0.7335 है. ख. नं. 1567/1322 तादादी 0.1518 है. साक्षी चौधरी पुत्री अमीलाल जाति–जाट नि. चूरू खाता सं. 538 के ख. नं. 1564/1319 तादादी 0.8853 है. मुकेश देवी पत्नी अमीलाल जाति–जाट नि. चूरू खातेदार रिकॉर्ड दर्ज है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ख. नं. 1561/1319, 1565/1322, 1562/1319, 1566/1322, 1563/1319, 1567/1322 में से ख. नं. 1414 /1271 तादादी 0.1202 है. गै. मु. रास्ता रिकॉर्ड दर्ज है। मौके पर ख. नं. 1414/1271 तादादी 0.1202 है. गै. मु. रास्ता मुताबिक रिकॉर्ड के नक्शे के अनुसार चालू न होकर मुताबिक नजरी नक्शे के अनुसार चालु है। आवागमन के काम आ रहा है। उक्त कटानी रास्ता कई सालों से रिकॉर्ड के अनुसार न चलकर मौके पर उसके बगल में चल रहा है। जहां डाम्पर युक्त पक्की सड़क बनी हुई है तथा आवागमन चालू है। मौके पर चल रहे रास्ते के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है तो कोई सार्वजनिक हित प्रभावित नहीं हो रहा है क्योंकि प्रचलित रास्ते का रकबा 0.1292 हैक्टेयर है जो पूर्ववर्ती रास्ते के रकबे 0.1202 हैक्टेयर से अधिक है।

बहस में वादी अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया गया कि रास्ता राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार न होकर मौके के अनुसार वर्तमान में चालू है इस रास्ते के परिवर्तन से सार्वजनिक हित प्रभावित नहीं होते हैं तथा ना ही राज्य हित प्रभावित हो रहा है तथा रास्ते में जाने वाले अतिरिक्त क्षेत्रफल पर हम वादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि वादीगण का दावा डिक्री स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि एनेक्चर A से B के स्थान पर C से B "एनेक्चर" के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कर एनेक्चर के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में सही अंकन करवाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि उक्त रास्ता एनेक्चर A से B के स्थान पर C से B "एनेक्चर" किये जाने से राज्य हित प्रभावित नहीं होता है नाही कोई सार्वजनिक हित प्रभावित होता हैं तथा वादीगण जिनके खसरान क्षेत्र प्रभावित हो रहा है उन्होंने भी इस हेतु अपनी सहमति प्रकट की है।

प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्ष को सुना जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन से वादीगण की ओर से पेश दावा में वादीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त के के मध्य स्थित व नक्शा में अंकित कटानी रास्ते A से B को वर्तमान में डामरयुक्त सड़क निर्माण होकर चल रहे रास्ते C से B एनेक्चर" के अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शे में अंकित करवाने का अनुतोष चाहा गया है। नकल जमावन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम खासोली के ख.नं. खसरा संख्या 1561/1319 तादादी 0.2783 हैक्टेयर, खसरा नं. 1565/1322 तादादी 0.5058 हैक्टेयर, 1562/1319 तादादी 0.5058 हैक्टेयर, 1566/1322 तादादी 0.2530 हैक्टेयर, 1563/1319 तादादी 0.7335 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1567/1319 तादादी 0.1518 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1564/1319 तादादी 0.8853 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम खांसोली के राजस्व रिकार्ड में वादीगण खातेदार दर्ज हैं। उक्त खसरों के मध्य कटानी रास्ता अंकित है जिससे जाहिर है कि उक्त खसरे में रास्ता पहले से ही मौजूद रहा है। तहसीलदार, चूरू की ओर से पेश मौका रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि वादगत खेतों के मध्य नक्शा में अंकित कटानी रास्ता मौके पर भी स्थित नहीं है जबकि वादीगण के खेत में एक दूसरी जगह सलग्न [illegible] B (कटानी रास्ता) के स्थान पर C से B "एनेक्चर" के अनुसार मौके पर रा[illegible] सड़क का निर्माण होकर रास्ता आवागमन हेतु चालु है जिसके अनुसार [illegible]। नये कायम किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वाले रास्ते का क्षेत्रफल कटानी रास्ते से अधिक है परन्तु अतिरिक्त जाने वाली भूमि के लिए वादीगण ने अपनी सहमति दी है तथा उपस्थित अन्य लोगों ने भी इसी रास्ते को सुगम रास्ता होना बताया है। मौका रिपोर्ट में उक्त कटानी एनेक्चर A से B के स्थान पर C से B "एनेक्चर" के अनुसार किया जाना उचित बताया है।

इस प्रकार पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमियों के मध्य स्थित रास्ते को एनेक्चर A से B के स्थान पर C से B "एनेक्चर" व रिपोर्ट पटवारी खासोली के अनुसार दर्ज किये जाने से उक्त रास्ते पर आवागमन करने वाले अन्य काश्तकारों को किसी प्रकार की परेशानी होने की सम्भावना नहीं है तथा किसी प्रकार से सार्वजनिक हित भी प्रभावित होना परिलक्षित नहीं है क्योंकि उक्त रास्ते को वर्तमान स्थान पर दर्ज किये जाने से ना तो आवागमन की दूरी बढेगी एवं ना ही रास्ते का रकबा कम हो रहा है जबकि अधिक दर्ज होने वाले रकबे के वादीगण ने अपनी सहमति दी है। वादगत रास्ते को वर्तमान चालु रास्ते पर दर्ज किये जाने से वादीगण की कृषि भूमियां एकल हो जायेंगी जिससे उक्त कृषि भूमि के खातेदारान वादीगण को काश्त करने में आसानी हो रहेगी एवं उनके खातेदारी अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। साथ ही उक्त रास्ते को वर्तमान चालु रास्ते पर दर्ज किये जाने से राज्य सरकार का हित भी प्रभावित होने की सम्भावना नहीं है। अतः वादीगण के खातेदारी अधिकारों के मध्यजनर वादीगण उक्त रास्ते को वर्तमान चालु रास्ते पर दर्ज करवाने के अधिकारी हैं तथा दावा वादीगण स्वीकार किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विस्तृत विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायहित में लोक अदालत की भावना से दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1561/1319 तादादी 0.2783 हैक्टेयर, खसरा नं. 1565/1322 तादादी 0.5058 हैक्टेयर, 1562/1319 तादादी 0.5058 हैक्टेयर, 1566/1322 तादादी 0.2530 हैक्टेयर, 1563/1319 तादादी 0.7335 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1567/1319 तादादी 0.1518 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1564/1319 तादादी 0.8853 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू के मध्य स्थित कटानी रास्ते को वर्तमान डामरयुक्त निर्मित चालु रास्ते रास्ते पर एनेक्चर A से B के स्थान पर C से B "एनेक्चर" एवं रिपोर्ट पटवारी के अनुसार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट पटवारी एवं संलग्न एनेक्चर निर्णय तथा डिक्री का भाग माना जावे। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि एनेक्चर A से B के स्थान पर वर्तमान में प्रचलित एवं चालु रास्ता C से B का राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती एवं राजस्व नक्शा में तरमीम किया जाना सुनिश्चित करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

29/12/23
(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:46 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू कैम्प बूंटिया

इजलास : श्री अनिल कुमार आर0ए0एस0

1. अमीलाल पुत्र श्री हनुमानाराम जाति जाट निवासी ग्राम खांसोली हाल निवासी केरियर कॉलेज के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. रोहिताश कुमार पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी ग्राम खांसोली हाल निवासी ग्राम बुढ़ा का बास झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू (राज.)
3. साक्षी चौधरी पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी ग्राम खांसोली हाल निवासी केरियर कॉलेज के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. मुकेश देवी पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी ग्राम खांसोली हाल निवासी केरियर कॉलेज के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

--वादीगण--

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

--प्रतिवादी--

दावा अन्तर्गत धारा 88, 92 ए आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 356 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री शिवगौतम सोलंकी वादीगण मिनजानिब मुदईव व तहसीलदार, चूरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1561/1319 तादादी 0.2783 हैक्टेयर, खसरा नं. 1565/1322 तादादी 0.5058 हैक्टेयर, 1562/1319 तादादी 0.5058 हैक्टेयर, 1566/1322 तादादी 0.2530 हैक्टेयर, 1563/1319 तादादी 0.7335 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1567/1319 तादादी 0.1518 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1564/1319 तादादी 0.8853 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू के मध्य स्थित कटानी रास्ते को वर्तमान डामरयुक्त निर्मित चालु रास्ते रास्ते पर एनेक्चर A से B के स्थान पर C से B "एनेक्चर" एवं रिपोर्ट पटवारी के अनुसार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट पटवारी एवं संलग्न एनेक्चर निर्णय तथा डिक्री का भाग माना जावे। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि एनेक्चर A से B के स्थान पर वर्तमान में प्रचलित एवं चालु रास्ता C से B का राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती एवं राजस्व नक्शा में तरमीम किया जाना सुनिश्चित करें

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 29 माह दिसम्बर सन् 2023 को जारी की गई।

29/12/23
(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:46 IST
Reason: SelfAttested